न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 18 सन् 2019

शंकर सहनी व अन्य.....वादीगण

बनाम

जागेश्वर सहनी व अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक– 04.08.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। आज अभिलेख वादी की ओर से अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 25.10.2021 पर आदेश हेतु नियत है।

आदेष

वादी का कथन है कि उसने प्रस्तुत वाद मद सं0 1 में वर्णित भूमि के बंटवारा हेतु लाया है। प्रतिवादीगण के द्वारा मद नं0 1 में वर्णित खाता सं0 48 खेसरा सं0 19 रकबा 2 कठा 8 धूर तथा खाता सं0 48 खेसरा सं0–548 रकबा 5 कठा 17 धूर में जबरन मिट्टी भरने एवं उसका निर्माण करने हेतु एवं भूमि का स्वरूप बदलने हेतु उतारू है। निर्माण कार्य करने हेतु स्थल पर निर्माण सामग्री गिराये हुए हैं। निर्माण कार्य होने से वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। ऐसी परिस्थिति में न्यायहित में तकरारी भूमि का स्थल निरीक्षण करके वस्तुस्थिति की जानकारी लेना आवश्यक है। अतः निवेदन किया है कि जानकार अधिवक्ता आयुक्त से नजरी नक्सा के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगना आवश्यक है 1. अधिवक्ता आयुक्त सही–सही तकारारी भूमि का वस्तुस्थिति का निरीक्षण प्रतिवेदन नजरी नक्सा के साथ दें। 2. अधिवक्ता आयुक्त अगर आवश्यक हो तो पक्षकारों के सलाह के अनुसार अन्य बिन्दुओं पर निरीक्षण प्रतिवेदन दाखिल करें।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 08.04.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादीगण

आवेदन बिल्कुल गलत एवं मनतगढ़ वो बेबुनियाद है। जगेश्वर सहनी ने दिनांक 10.07.2007 को झालो देवी जौजे यमुना सहनी के नाम से विवादित खेसरा नं0 19, 557, 548 रकबा 19 धूर जमीन बैनामा लिख दिए एवं जमीन पर केता का दखल कब्जा करा दिए। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने शंकर जी का पक्का मंदिर बनाये है। जिसमें चारों तरफ ओसारा एवं फूलपत्ति लगाए है। जिसमें प्रतिवादीगण के अलावे गांव के लोग मंदिर में जाकर पूजा–अर्चना करते हैं। विवादित भूमि प्रतिवादीगण का शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है। जिससे वादीगण को कोई सरोकार नहीं है। विवादित भूमि में प्रतिवादीगण आम, लिची, अमरूद का पेड़ लगाए हैं तथा उसकी देखरेख करते हैं। प्रस्तुत वाद में स्थानीय निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः वादी के आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख के अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल कर विवादित एराजी मद नं0 1 वादपत्र में 1/16 हिस्सा की प्रारंभिक डिक्री के अनुतोष हेतु दाखिल किया है। साथ ही न्यायालय से यह अनंतोष मांगा है कि बैनामा दिनांक 10.07.2007 नविस्ते प्रतिवादी सं0 1 बनाम प्रतिवादी सं0 7 को बेअसर वो शुन्य घोषित किया जाए। प्रस्तुत वाद वादीगण की ओर से चूंकि बंटवारा की प्राप्ति हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध लाया गया है और वादीगण की ओर से दिनांक 22.09.2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु दाखिल आवेदन के पैरा–3 में कहा गया है कि मद नं0 1 वादपत्र की विवादित भूमि खाता सं0 48 खेसरा सं0 19 रकबा 2 कठा 8 धूर तथा खाता सं0 48 खेसरा सं0 548 रकबा 5 कठा 17 धूर भूमि पर जबरन मिट्टी भरकर प्रतिवादीगण कब्जा करना चाहते

हैं और नया निर्माण कार्य करके विवादित भूमि का स्वरूप बदल सकते हैं। जिसके

लिए निर्माण सामग्री भी गिराए हुए हैं। ऐसी परिस्थति में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 25.02.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे विवादित भूमि के स्थल निरीक्षण हेतु अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 1500/– रूपया नजारत में जमा करें।

वाद दिनांक 11.08.2021 को अधिवक्ता आयुक्त शुल्क जामा करने हेतु नियत किया जाता है।

सब जज

सोनपुर सारण।